अनुसूची–१४ –फारम सं0 ५६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १९४१ का नियम १२६)

न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, सारण, छपरा।

आपूर्ति अपील सं0– 17/2013

रविन्द्र कुमार सिंह

बनाम

सरकार (मार्फत अनु0 पदाधिकारी, मढौरा)

आदेश का क्रम–संख्या और तारीख।	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर।	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में पेशी, तारीख–सहित
10.06.2015	यह वाद अनुमंडल पदाधिकारी,मढौरा, के आदेश ज्ञापांक 191/ दिनांक 13.01.2011 के विरूद्ध दाखिल है। उक्त वाद का संक्षिप्त इतिहास यह है कि जिला विधि शाखा के ज्ञापांक 2761/विधि दिनांक 29.10.12 के द्वारा इस न्यायालय के द्वारा आपूर्ति अपीलवाद 12/11 में पारित आदेश दिनांक 25.10.12 के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी को रिमांड किया गया था। दिनांक 08.12.10 को रविन्द्र कुमार सिंह, ज0वि0प्र0वि0 अनुज्ञप्ति सं0 05/07 ग्राम बंगरा पंचायत सुनौली थाना–मशरख प्रखंड–मशरख की दूकान की जांच अनुमंडल स्तरीय गठित जांच दल (अंचल अधिकारी मढौरा, एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी मढौरा) के द्वारा की गई। जांच के क्रम में विक्रेता की दूकान से संबंधित निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई:– 1. निरीक्षण के समय वितरण अवधि में दूकान बंद पाई गई तथा विक्रेता दूकान से अनुपस्थित थें। 2. दूकान से संबंधित सूचना पट्ट एवं मूल्य तालिका प्रदर्शन पट्ट समुचित रूप से संधारित नहीं था। 3. विक्रेता की अनुपस्थिति के कारण स्टॉक पंजी/ वितरण पंजी इत्यादि की जांच नही की जा सकी तथा मांगने पर भी विक्रेता के घर के अन्य सदस्यों के द्वारा उपरोक्त कागजात जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। 4. विक्रेता के घर के अन्य सदस्यों के द्वारा भंडार के निरीक्षण हेतु भंडार	

खोलकर नही दिखाया गया। इससे प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि विक्रेता के द्वारा जन वितरण प्रणाली के खाद्यान्न/चीनी/किरासन तेल का उपभोक्ताओ के बीच वितरण न कर कालाबाजारी में बेंच दिया जाता है।

उक्त अनिमितताओं के लिए अनुमंडल पदाधिकारी मढौरा –सह– अनुज्ञापन पदाधिकारी, के ज्ञापांक 382 दिनांक 13.02.13 के द्वारा विक्रेता से कारण–पृच्छा क्रिया गया, जिसके प्रसंग में विक्रेता के द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत किया गया। विक्रेता से प्राप्त जवाब को असंतोषजनक पाकर विक्रेता की अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया गया, जिसके विरूद्व यह अपील वाद लाया गया है।

अपीलार्थी अपने विज्ञ अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए। सुनवाई की गई। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि जांच की तिथि 08.12.2010 को विक्रेता बी0पी0एल0 के गेहूँ के उठाव के लिए प्रखंड आपूर्ति कार्यालय में जानकारी प्राप्त करने के लिए गए हुए थे। दूकान पर सूचना पट्ट एवं मूल्य तालिका प्रदर्शन पट्ट संधारित था। जिसमें विक्रेता के प्रखंड आपूर्ति कार्यालय,मशरक जाने की बात अंकित थी। विक्रेता अपने दूकान की चाभी अपने पास ही रखते है। इस वजह से उनके परिवार के सदस्यों के द्वारा दूकान खोलकर उसे दिखाना संभव नहीं हो सका। विक्रेता के द्वारा अनुदानित खाद्यान्न एवं किरासन तेल का उठाव एवं वितरण समय विभागीय दिशा निदेश के आलोक में किया जाता है। विक्रेता के द्वारा अपने जवाब के साथ किरासन तेल का भंडार पंजी एवं वितरण पंजी की प्रति संलग्न कर प्रस्तुत किया गया। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा अनुरोध किया गया कि प्राकृतिक न्याय की दृष्टि से विक्रेता के अपील आवेदन को स्वीकृत करने की कृपा की जाए।

विज्ञ सरकारी अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि अपीलकर्ता के द्वारा विभागीय दिशा निदेश के आलोक में आचरण न करके गंभीर अनियमितताएं बरती गई है। अतः अपीलार्थी के आवेदन को अस्वीकृत करना उचित प्रतीत होता है।

उक्त पक्षों को सुनने एवं अभिलेख में रक्षित कागजातों के परिसीलन के उपरान्त मै इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा निर्गत प्रश्नगत आदेश (ज्ञापांक 191/, दिनांक 13.01.2011) एक मुखर आदेश नहीं है। विक्रेता से प्राप्त जवाब को सीधे असंतोषजनक कहकर अस्वीकृत कर देना उचित नही है। जांच के कम में यदि दूकान बंद थी तो अनुज्ञापन पदाधिकारी के लिए यह आवश्यक था कि एक अन्य तिथि निर्धारित करके दूकान से संबंधित कागजातों/पंजी की जांच की जाती एवं यदि इसमें कोई अनियमितता पाई जाती तो विक्रेता से

लिखित कारण पृच्छा करते हुए प्राप्त जवाब के आलोक में आवश्यक कार्रवाई की जाती, लेकिन अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा ऐसा नहीं किया गया। अतः अनुज्ञापन पदाधिकारी के प्रश्नगत आदेश को निरस्त करते हुए अपीलार्थी के अपील आवेदन 18.03.13 को स्वीकृत किया जाता है।

वाद निष्पादित।

लेखापित एवं सुशोधित

10/6/15

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

10/6/15

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

ज्ञापांक 404 /दिनांक 10/6/15

प्रतिलिपिः- अनुमंडल पदाधिकारी मढौरा को अभिलेख मूल में संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- विद्वान विशेष लोक अभियोजक 7 ई0सी0 सारण, छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी एन0आई0सी0 सारण, छपरा को उक्त आदेश इस जिले के वेब साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

वरीय उप समाहर्ता
जिला विधि शाखा
सारण, छपरा।
10/6/15